"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2009—आषाढ़ 19, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक ई-1-5/2009/1/2.— श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985), को प्रमुख सचिव वेतनमान (वेतन बैंड-4: 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 12000) में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रमुख सचिव, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2009

क्रमांक 772/635/2009/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, रजिस्ट्रार एवं अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-06-2009 से 10-07-2009 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री भट्टर का कार्य भी संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. भट्टर को रजिस्ट्रार एवं अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार एवं अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प[illegible] कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्रसिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2009

क्रमांक 770/651/2009/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 29-06-2009 से 08-07-2009 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव बक्शी को संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव बक्शी अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2009

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-05-2009 के द्वारा श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री सिंह को दिनांक 01-06-2009 से 08-06-2009 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-05-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2009

क्रमांक 1684/1143/2009/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर जिला-रायपुर को दिनांक 24-06-2009 से 30-06-2009 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला-रायपुर के पद पर पनु: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग के उक्त अवकाश अवधि में श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर जिला-रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से., आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 25-05-2009 से 09-06-2009 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-05-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2009

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को दिनांक 15-06-2009 से 23-06-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रकाश आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2009

क्रमांक/एफ 1/12/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरेला, बिलासपुर छ. ग. को अपने गृह नगर दिल्ली अवकाश पर जाने के लिए दिनांक 22-06-2009 से दिनांक 04-07-2009 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 20-21 जून 2009 एवं दिनांक 05 जुलाई 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गौरेला, बिलासपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक 4290/डी-1527/21-ब/छ. ग./09.—सती (निवारन) अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1988 का सं. 3) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक 1219/डी-457/21-ब/छ.ग./09, दिनांक 13-02-2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री संदीप बख्शी, सत्र न्यायाधीश, रायपुर को तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले में विशेष न्यायालय, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 रायपुर का न्यायाधीश नियुक्त करती है.

No. 4290/D-1527/XXI-B/C.G./09.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1988), in consultation with the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department's order No. 1219/D-457/XXI-B/C.G./09, dated 13-02-2009, the State Government hereby appoints Shri Sandeep Buxy, Sessions Judge, Raipur as Judge of the Special Court for the trial of offence under the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, मुख्य सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक 523/422/2009/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार टुटेजा, निदेशक, संयुक्त उपक्रम कंपनी क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड तथा आईओसीएल-क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड का ऊर्जा विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री देवासीष दास, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग को संयुक्त उपक्रम कंपनी में निदेशक के पद पर नामित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

क्रमांक एफ 1-6/2008/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2007 के नियम 6 (1) (ख) में सीमित प्रतियोगी परीक्षा से, कार्यभारित सेवा के कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है.

विशेष उपबंध

उक्त नियम में :—

राज्य शासन एतद्द्वारा कार्यभारित स्थापना के डिप्लोमा/डिग्रीधारी स्थल सहायकों, अनुरेखक, सहायक मानचित्रकार, समयपाल, प्रयोगशाला सहायक, मेकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि तकनीकी पदों के कर्मचारियों को उप अभियंता के 05 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु केवल एक बार के लिये स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2008

विषय : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों/निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में संशोधन एवं परिवर्धन प्रस्ताव.

क्रमांक/एफ/10-3/2003/खे.यु.क./09.—खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा समसंख्यक क्रमांक, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को जारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार नियम 2004 में समसंख्यक क्रमांक से दिनांक 18 जुलाई 2006 एवं 6 अगस्त 2007 से संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है. उक्त नियम समसंख्यक क्रमांक से निम्नानुसार संशोधन एवं परिवर्धन किया जाता है.

1. नियम 1 में उपनियम "1.5 शहीद पंकज विक्रम सम्मान" जोड़ा जाए.

2. नियम 4 में उपनियम 4.5 निम्नानुसार जोड़ा जाए.

4.5 शहीद पंकज विक्रम सम्मान—
राज्य के सीनियर वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उत्कृष्ट खेल सेवा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का गौरव बढ़ाए है तथा राज्य के अन्य खिलाड़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके.

3. नियम 5 के उपनियम 5.1-स को निम्नांकित पढ़ा जाए.

5.1 (स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी अथवा दल अथवा दल के सदस्य को राशि दो लाख, पच्चीस हजार नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

4. नियम 5 के उपनियम 5.2 (स) को निम्नांकित पढ़ा जाए.

5.2 (स) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी अथवा दल अथवा दल के सदस्य को राशि एक लाख, नगद, मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

5. नियम 5 के उपनियम 5.2 के नीचे उल्लेखित टिप्पणी के आगे निम्नांकित पढ़ा जाए.

दलीय खेल के मामले में पुरस्कार का निर्णय करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाला उसी खेल विधा का कोई खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्ति से वंचित न हो.

स्पष्टीकरण :—

अ. यदि एक दल को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त हुआ हो तथा पदक प्राप्त दल के ही एक या एक से अधिक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया हो, तो पुरस्कार का निर्णय करते समय राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक के आधार पर दल के सभी खिलाड़ियों को (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए हुए खिलाड़ी भी सम्मिलित हैं) पुरस्कार देने हेतु विचार किया जाएगा.

ब. यदि राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक के आधार पर निर्णय लेने के कारण यदि पुरस्कार चयन में किसी दलीय खेल का प्रावीण्य क्रम, पुरस्कार की निर्धारित संख्या (पांच) के बाद आता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर निर्णय लेने के कारण चयन में उसका प्रावीण्य क्रम पुरस्कार की निर्धारित संख्या (पांच) के अंदर आता है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर पुरस्कार का निर्णय किया जाएगा.

स. यदि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक के आधार पर किसी दलीय खेल में पूरे दल को पुरस्कार दिया जा सकता हो, तथा उस खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो पदक जीतने वाले दल के सदस्य नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त की हो, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जितने वाले दल के सदस्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए हुए खिलाड़ियों को सम्मिलित कर एक दल के रूप में इन्हें पुरस्कार देने हेतु इनके नाम पर विचार किया जाएगा.

द. दलीय खेल के लिए यदि किसी दल को किसी पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयन कर लिया गया हो तथा उस दल के कुछ खिलाड़ियों को पहले वही पुरस्कार मिल चुका हो तो इस स्थिति में पुरस्कार की राशि दल की कुल सदस्य संख्या से विभाजित कर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए निर्धारित की जाएगी तथा सिर्फ उन खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी, जिन्हें पहले पुरस्कार नहीं मिला है.

यह माना जाएगा कि जिन खिलाड़ियों को पहले पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें पुरस्कार राशि तथा अलंकरण की अन्य वस्तुएं पुरस्कार के साथ पूर्व में प्रदान की जा चुकी है तथा इन खिलाड़ियों के नाम भी पुरस्कार प्राप्त दल के सदस्यों के रूप में घोषित नहीं किए जाएंगे.

6. नियम 5 के उपनियम 5.4 अ को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए.

(अ) प्रत्येक वर्ष पात्रता रखने वाले पांच खेल विभूतियों को प्रदान किया जाएगा.

7. नियम 5 में उपनियम 5.7 निम्नानुसार जोड़ा जाए.

5.7 शहीद पंकज विक्रम सम्मान—

(अ) विचाराधीन पुरस्कार वर्ष में जिन खेलों के खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार या शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, उन खेलों को छोड़कर पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में आने वाले अन्य खेलों में पात्रता रखने पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

(ब) पुरस्कार के लिए विचार क्षेत्र में उन खेलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके राज्य स्तरीय संघ ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त की है.

(स) एक वर्ष में एक खेल में एक पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें से एक सीनियर वर्ग पुरुष या एक सीनियर वर्ग महिला के लिए होगा.

(द) पुरस्कार में प्रत्येक खिलाड़ी को राशि रुपए पच्चीस हजार, मानपत्र, फलक, ब्लेजर एवं टाई से अलंकृत किया जाएगा.

(इ) उपनियम 5.5 एवं 5.6 में उल्लेखित सुविधाएं सम्मानग्राहियों को प्राप्त होगी.

8. नियम 6 में उपनियम 6.4 द को निम्नानुसार पढ़ा जाए.

द. उसे खेल के क्षेत्र में पूर्व में विभाग द्वारा गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान, शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अंलकृत नहीं किया गया हो.

9. नियम 6 में उपनियम 6.6 में निम्नानुसार जोड़ा जाए.

6.6 शहीद पंकज विक्रम सम्मान—

(अ) इस सम्मान हेतु उस खिलाड़ी के नाम पर विचार किया जाएगा, जिसके नाम की अनुशंसा खिलाड़ी के खेल से संबंधित राज्य खेल संघ द्वारा इस सम्मान के लिए की गई हो. इस सम्मान के लिए खिलाड़ियों से, पृथक से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

(ब) राज्य खेल संघ इस सम्मान हेतु उस खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा करेंगे जो उनकी दृष्टि में राज्य का सीनियर वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है तथा जिसे पूर्व में गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा इन पुरस्कार नियमों में उल्लेखित कोई अन्य पुरस्कार नहीं मिला है ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पूर्व में उपरोक्त पुरस्कार मिल चुके हों उन्हें शहीद पंकज विक्रम सम्मान प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

(स) राज्य खेल संघ ऐसे खिलाड़ियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे, जो इन पुरस्कार नियमों में उल्लेखित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हों या जिस खिलाड़ी ने पुरस्कार वर्ष को सम्मिलित करते हुए विगत पांच वर्षों में लगातार सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिया हो.

टिप्पणी — ऐसे खेल जिसमें राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के नाम से आयोजन का प्रावधान नहीं है उन खेलों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के समकक्ष प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी की अनुशंसा की जा सकेगी.

(द) खिलाड़ी के नाम के अनुशंसा पत्र में हस्ताक्षर करने हेतु खेल संघ के वे पदाधिकारी अधिकृत होंगे जिनके नाम पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी द्वारा अभिप्रमाणित किए गए हो. इस हेतु फर्म हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 की तहत पंजीयक को विगत वर्ष या वर्तमान वर्ष में प्रस्तुत जानकारी की अभिप्रमाणित प्रति राज्य संघ को प्रस्तुत करनी होगी.

(इ) इस सम्मान हेतु खिलाड़ियों के नाम पर विचार करते समय निर्धारित पात्रता की शर्तों को राज्य खेल संघ द्वारा शिथिल नहीं किया जा सकेगा यदि राज्य खेल संघ द्वारा पात्रता की शर्तों को शिथिल कर अनुशंसा प्रेषित की गई हो तथा इसी कारण संबंधित खेल का खिलाड़ी यदि पुरस्कार से वंचित होता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खेल संघ का होगा.

(फ) राज्य खेल संघ इस सम्मान हेतु पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम दो तथा महिला वर्ग के लिए अधिकतम दो इस प्रकार सिर्फ अधिकतम चार अनुशंसाएं ही प्रेषित कर सकेंगे राज्य खेल संघ से निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में अनुशंसा प्राप्त होने पर उस वर्ग की सभी अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खेल संघ पर होगा.

(ज) राज्य खेल संघ खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा करने के लिए चयन हेतु एक समिति का गठन करेंगे जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य खेल संघ अनुशंसा अग्रेषित करेंगे.

(ह) पुरस्कार हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय पुरस्कार निर्णयन समिति को होगा.

10. परिशिष्ट-अ, ब, स एवं द संशोधित कर पृथक से संलग्न है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

परिशिष्ट-अ

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार हेतु अनुशंसा.

महोदय,

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों हेतु शासन द्वारा घोषित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत हैं.

(1) खेल का नाम ....

(2) पुरस्कार एवं सम्मान

(अ) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता क्रम में

नाम एवं पूर्ण पता 1. ....
....

2. ....
....

3. ....
....

(ब) शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं वरीयता क्रम में

नाम एवं पूर्ण पता 1. ....

2. ....

3. ....

(स) वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु अनुशंसाएं प्रशिक्षक के लिए

नाम एवं पूर्ण पता 1. ....

निर्णायक के लिए नाम एवं पूर्ण पता 1. ....

(द) शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु अनुशंसा

1. पुरुष वर्ग के लिए खिलाड़ी का नाम एवं पूर्ण पता
   1. ....
   2. ....
   3. ....

2. महिला वर्ग के लिए खिलाड़ी का नाम एवं पूर्ण पता
   1. ....
   2. ....
   3. ....

(5) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें.

(अ) खिलाड़ियों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रमाण-पत्रों सहित [आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परिशिष्ट (ब) एवं (स) में देखें].

(ब) प्रशिक्षकों/निर्णायकों के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रमाण-पत्रों सहित [आवेदन पत्र का प्रारुप नियम के परिशिष्ट (द) में देखें].

घोषणा-पत्र

हम घोषणा करते हैं कि :—

(1) इस अनुशंसा पत्र में संलग्न प्रस्तुत खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं निर्णायक के पंजीयन ज्ञापन की जानकारियां सत्यापित कर दी गई हैं तथा सत्य हैं.

(2) खिलाड़ी/प्रशिक्षक/निर्णायक को आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्कासित नहीं किया गया है.

(3) जिनके नाम की अनुशंसा की गई है, उन्हें उपरोक्त पुरस्कार पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है.

(4) जिन खिलाड़ियों/प्रशिक्षक/निर्णायक के नाम की अनुशंसा की गई है उन्होंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

(5) उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है. उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे.

हस्ताक्षर

सचिव,

राज्य खेल संघ पद मुद्रा

परिशिष्ट-ब

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय : शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार एवं शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन ज्ञापन.

(1) खेल का नाम ....

(2) पुरस्कार/सम्मान का नाम जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है. ....

(3) खिलाड़ी का नाम ....

स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(4) पिता/पति का नाम ....

(5) पूर्ण डाक पता, दूरभाष क्र. ....
....
....

(6) जन्मतिथि - अंकों में तिथि .... माह .... वर्ष ....
शब्दों में ....
(कक्षा आठवीं या दसवीं बोर्ड की अंकसूची संलग्न करें)

(7) शैक्षणिक योग्यता
(अ) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता ....
(ब) कक्षा पहली में प्रवेश लेने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/पता ....
(स) कक्षा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/ पता. ....
(द) कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/ पता. ....
(इ) कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं विद्यालय का नाम/ पता. ....

नोट - उपरोक्त कण्डिका (ब) से (इ) तक की जानकारी शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए पंजीयन से संबंधित है. यदि शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु खिलाड़ी द्वारा सब जूनियर, जूनियर या यूथ वर्ग की उपलब्धियां भी उल्लेखित की जा रही हो तो शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु भी उपरोक्त जानकारी दी जाए अन्यथा मात्र शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु उक्त कण्डिका में जानकारी प्रस्तुत करें. शहीद पंकज विक्रम सम्मान के लिए कण्डिका (ब) से (इ) की जानकारी की आवश्यकता नहीं है.

(8) खिलाड़ी/खिलाड़ियों के पालक (पिता/माता) यदि शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हों तो जानकारी दें—

कार्यालय का नाम पता ....

पद ....

खिलाड़ी से संबंध ....

(9) पुरस्कार वर्ष ....
(जिस वर्ष के पुरस्कार के लिए पंजीयन कराया जा रहा हो).

(10) पुरस्कार वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्रीय चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय खेल में प्रतिनिधित्व का विवरण.

प्रतियोगिता का नाम ....
आयोजन तिथि ....
आयोजन स्थल ....
वर्ग सीनियर/जूनियर
प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान ....

(11) पुरस्कार वर्ग को सम्मिलित करते हुए विगत पांच वर्षों/तीन वर्ष की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल उपलब्धियों का विवरण

क्र.	वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि एवं स्थान	प्राप्त स्थान
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट -1. कालम 2 वर्ष में वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें (जैसा 2004-05).
2. मात्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का ही उल्लेख करें.
3. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु अधिकतम पांच वर्ष एवं शहीद कौशल यादव, पुरस्कार हेतु अधिकतम तीन वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करें.
4. शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु पांच वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करें.

(12) छत्तीसगढ़ में विगत पांच वर्षों से निवास का स्थान एवं अवधि

क्र.	वर्ष	निवास स्थान एवं पूर्ण पता	अवधि
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(13) किसी अन्य राज्य या स्रोत से खेल पुरस्कार मिला हो तो उसकी जानकारी ....

(14) निम्नांकित पृथक से संलग्न करें
(अ) जन्मतिथि सत्यापन हेतु आठवीं/दसवीं की अंकसूची.

(ब) खेल उपलब्धियों का विवरण एवं उससे संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति.

खिलाड़ी का घोषणा पत्र

(1) यह कि मैंने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं सभी नियमों को स्वीकार कर लिया है. यदि मुझे यह पुरस्कार प्राप्त होता है तो इसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा/करूंगी.

(2) यहं कि उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है. प्रस्तुत जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में यह पंजीयन ज्ञापन निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

हस्ताक्षर
खिलाड़ी का पूरा नाम ....
पूर्ण पता/दूरभाष क्रमांक ....
....
राज्य खेल संघ के सचिव द्वारा अभिप्रमाणित

सचिव,
राज्य खेल संघ पद मुद्रा

शहीद पंकज विक्रम सम्मान हेतु राज्य संघ का घोषणा पत्र

(1) यह कि इस सम्मान के लिए निर्धारित नियमों का अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी नियमों को स्वीकार कर लिया गया है.

(2) जिन खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा की गई है वे इस सम्मान के नियमों के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष के लिए सीनियर वर्ग में राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं. इनके नाम प्रावीण्यक्रम में हैं.

(3) खिलाड़ी के नामों की अनुशंसा करने के लिए समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर राज्य संघ द्वारा अनुशंसा प्रेषित की गई है.

(4) खिलाड़ी के नामों की अनुशंसा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी अधिकृत है तथा राज्य संघ के जिस पदमुद्रा का उपयोग किया गया है उस पद पर कार्यरत होने के संबंध में पंजीयक फर्म एवं सोसाइटी को धारा 27 के तहत विगत वर्ष/वर्तमान वर्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा पंजीयक से अभिप्रमाणित जानकारी इस अनुशंसा पत्र के साथ संलग्न है.

(5) समिति के गठन की अधिसूचना एवं समिति की अनुशंसा संलग्न है.

नाम ....
पूर्ण पता ....
पद- सचिव
पदमुद्रा- राज्य खेल संघ

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	जामबहार	2.97	अति. अधीक्षण यंत्री (सि.) छ.रा.वि.मं., कोरबा पूर्व.	हवाई पट्टी विस्तार हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक/140/भू-अर्जन/वाचक/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	बादा प. ह. नं. 11	0.339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, सरगुजा.	गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक/144/भू-अर्जन/वाचक/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	बरियो प. ह. नं. 11	0.446	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, सरगुजा.	गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 1/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	बिरगहनी	1.268	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	पूरक माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 2/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	रतनपुर	0.142	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	माइनर नहर निर्माण क्रमांक 4 के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 3/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	औरापानी	0.421	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 4/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	रतनपुर	रतनपुर	0.150	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	माइनर नहर निर्माण क्रमांक 2 के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 6/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरिया	0.458	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	औरापानी जलाशय माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 जून 2009

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-बैकोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
716, 717/1	0.113
720	0.053
423/2	0.020
719	0.125
722	0.130
712	0.024
724	0.040
709	0.198
723	0.040
725/1	0.045
558	0.182
706	0.182
10	0.008
531	0.348
535	0.138
705	0.012
725/2	0.016
708	0.073
707	0.089
556	0.032
557	0.085
559	0.028
537	0.004
539	0.263
7	0.150
427	0.053
527	0.032
11	0.109
528	0.183
529	0.057
425	0.004
8	0.166
429	0.008
426	0.243
430	0.125
375	0.223
153/1	0.004
374	0.024
376	0.020
156	0.206
155	0.032
121	0.040
152	0.231
154	0.130
120	0.324
118	0.032
114	0.101
115	0.016
39	0.462
40/1	0.526
9	0.081
2	0.134
113/1	0.020
113/4	0.073
113/3	0.081
योग 55	6.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर की माइनर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2009

क्रमांक 10/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खमतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	553/2च/1	0.10
योग		0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अशोकनगर से आशाबंद मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 12 जून 2009

क्रमांक 11/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिरकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	146	0.35
	277/5	0.05
	1216	0.43
	1217	0.05
योग	4	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अशोकनगर से आशाबंद मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) को धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिंजकोट, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-97.371 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
591/3	0.057
615/10	0.045
575/10	0.547
602/4	0.198
541/2	0.170
575/7	0.393
547/1	0.057
315/4	0.040
304	0.061
300/2	0.202
329	0.312
592/2	0.121
564	0.194
575/18	0.162
581	0.902
565/4	0.113
574/23	0.089
616	0.142
579/3	0.623
621/13	0.073
577/1	2.045
315/5	0.036
586/4	0.267
550	0.898
575/16	0.040
567	0.405
315/3	0.040
320	0.571
551	0.113
545	0.162
619/10	0.129
343	0.239
582	0.793
593/1	0.024
575/1	0.392
338	0.057
559	0.474
584	0.809
586/5	0.437
325	0.628
315/7	0.036
594	1.758
305/2	0.121

(1)	(2)
577/3	1.219
592/3	0.162
314/6	0.012
544/6	0.231
341	0.243
565/7	0.049
598	2.436
577/6	0.113
588/2	0.129
337/2	0.121
579/1	0.615
317/1	0.092
591/4	0.125
547/2	0.170
326	0.384
314/4	0.010
619/3	0.089
334	0.421
553	0.190
561	0.142
619/11	0.129
549	0.898
591/2	0.392
615/6	0.219
575/5	0.016
332/1	0.060
544/7	0.393
558	0.065
615/4	0.109
615/3	0.109
317/4	0.076
544/1	0.085
305/3	0.121
588/3	0.498
332/3	0.192
544/3	0.547
312	0.466
541/1	0.106
574/8	0.094
599/2	0.081
317/2	0.105
588/5	0.089
345/2	0.065
577/10	0.105
331/2	0.059

(1)	(2)	(1)	(2)
346	0.227	593/3	0.352
543	0.478	515/1	0.008
539	1.185	617	0.377
315/8	0.032	608	0.405
619/9	0.081	314/9	0.010
556	0.081	571	0.129
557	0.113	575/15	0.045
619/7	0.093	324	0.113
621/11	0.162	340/2	0.138
332/2	0.192	591/1	0.392
587/1	0.229	575/14	0.045
548	0.898	314/7	0.012
615/8	0.045	615/5	0.045
332/4	0.040	574/15	0.230
575/13	0.393	614	0.801
572	2.861	577/8	0.049
314/5	0.028	621/9	0.101
340/1	0.154	305/1	0.256
331/1	0.059	315/2	0.040
575/9	0.392	577/9	0.162
306	1.878	332/5	0.091
589	0.202	333	0.121
575/17	0.547	301	0.918
615/9	0.223	331/3	0.059
597	0.142	621/8	0.081
602/3	0.393	546	0.502
574/13	0.267	570	0.709
603	0.555	621/6	0.109
541/3	0.506	327/2	0.405
619/12	0.129	339	0.057
305/4	0.266	602/1	0.182
314/10	0.010	611	0.146
331/5	0.084	574/4	1.174
544/4	0.247	317/5	0.076
596	1.121	573	2.136
555	1.291	610/11	0.061
317/3	0.016	619/4	0.202
621/3	0.089	311	0.174
560	0.117	577/5	0.607
562	0.664	610/3	0.283
619/8	0.081	621/10	0.073
621/12	0.190	604	0.324
318	2.367	541/5	0.230
575/6	0.045	575/8	0.045
602/5	0.393	610/4	0.069
575/2	0.393	575/3	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
323	0.300	593/2	0.392
552	0.628	336	0.239
620/1	1.319	583	0.688
544/2	0.393	602/1	0.547
565/1	0.113	309	0.065
574/17	0.124	565/6	0.045
574/7	0.065	574/22	0.182
574/9	0.028	574/14	0.408
574/21	0.045	574/16	0.036
615/7	0.065	345/1	0.077
574/6	0.324	315/1	0.040
331/4	0.059	342	0.356
563	0.235	610/2	0.081
610/13	0.101	328	0.660
619/5	0.137	621/4	0.162
580	4.419	577/2	0.119
579/2	0.312	588/4	0.089
610/6	0.049	619/1	0.130
605	0.405	544/5	0.393
619/2	0.202	621/2	0.405
600	0.316	599/1	1.129
314/3	0.016	586/3	0.392
610/5	0.142	610/10	0.061
615/2	0.393	575/12	0.320
330	0.644	540	0.777
569	0.312	595/1	2.517
303	0.340	574/3	2.386
314/2	0.016	587/2	0.229
565/3	0.158	574/11	0.028
574/20	0.077	565/2	0.101
574/10	0.028	574/24	0.089
574/12	0.129	574/18	0.093
574/25	0.101	574/2	0.121
337/1	0.284	315/6	0.036
314/8	0.010	568	1.141
322	0.833	610/9	0.466
575/11	0.547	595/2	0.243
592/1	0.554	621/5	0.380
620/2	0.162	577/4	0.113
586/1	0.393	610/1	0.133
588/1	0.129	621/1	0.101
610/7	0.040	606	0.081
335	0.409	541/4	0.231
619/6	0.146	575/4	0.393
601	0.178	566	1.226
586/2	0.393	610/12	0.061
610/8	0.073		

	(1)	(2)
	321	0.385
	542	2.210
	613	0.170
	554	0.146
	327/1	0.344
	574/5	0.145
	565/5	0.065
	574/1	0.081
	574/19	0.162
योग	282	97.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर जिला

(ख) तहसील-माकड़ी

(ग) नगर/ग्राम-केरावाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.461 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
464/2 क	0.004
440/47	0.105
462/2	0.012
457/2	0.121
533/3 ख	0.012
458/4	0.004
477/4	0.101
476/3	0.215
478/1, 479/1	0.032
514	0.182
515/1	0.073
515/2	0.073
529/1 क	0.032
529/1 ख	0.048
529/2 ख	0.053
529/1 ग	0.024
529/2 क	0.069
530	0.089
533/2 क	0.024
533/3 ग	0.040
534	0.162
535/2	0.048
535/1	0.053
537	0.081
538	0.109
540/1	0.129
541/5	0.202
541/2 क	0.121
542/3	0.040
542/1	0.040
542/2	0.032
543/2	0.081
543/3	0.077
190/2	0.009
544/1	0.040
544/2	0.028
200/1	0.142
198/2	0.052
197/1	0.036
197/6	0.036
197/2	0.073
197/3	0.101
192/1	0.040
196/2 क	0.032

	(1)	(2)
	196/3 ख	0.032
	196/3 ग	0.032
	188/3	0.239
	190/3	0.016
	190/1	0.056
योग	49	3.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-केरावाही जलाशय में मुख्य नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोण्डागांव
- (ग) नगर/ग्राम-केरावाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.312 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	417/1	0.202
	415/3, 416/4	0.263
	416/2	0.130
	415/1	0.061
	415/2, 416/3	0.194
	414/1	0.113
	414/2	0.122
	407	0.141
	406/2	0.073
	406/4	0.122
	408/1	0.032
	406/1	0.130
	406/3	0.122
	405/2	0.315
	404	0.182
	405/1	0.122
	402/1	0.263
	426/1	0.165
	402/2, 405/3, 401/2	0.558
योग	19	3.312

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-केरावाही जलाशय में उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-सातगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/2	0.146
23/10	0.049
23/11	0.036
23/13	0.056
23/3	0.024
29	0.081
28/5	0.032
28/16	0.024
28/17	0.036
योग 9	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-केरावाही जलाशय में मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-मदनपुर, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-64.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/2	0.121
9/2	0.202
9/3	0.478
11/1	0.050
11/2	0.294
11/3	0.243
12/157	0.300
12/159	0.250
14	1.578
15	1.862
16	0.425
17	0.219
19	0.081
20/2	1.834
21	0.057
23/2	1.343
37/2	0.135
39	0.020
40/1	0.162
44/1	0.040
44/3	0.106
44/5	0.557
44/6	0.202
44/7	0.202
44/8	0.134
44/9	0.149
44/10	0.069
44/2	0.081
45/1	0.014
45/2	0.081
45/3	0.081
45/4	0.014
46/1	0.405
46/2	0.410
46/3	0.380
46/4	0.380
46/5	0.380
46/6	0.380
46/7	0.380
47	0.162
48/1	1.588

(1)	(2)	(1)	(2)
48/2	0.031	83	0.575
48/3	0.028	97	0.105
48/4	0.069	100	1.566
48/5	0.109	101/1	1.478
49/1	0.063	101/2	0.202
49/2	0.173	102	2.440
49/3	0.101	103	1.197
49/4	0.164	105	0.356
49/5	0.101	106	0.644
50	0.065	107	3.035
51/1	0.129	108	0.656
51/2	0.130	109/1	1.478
52/1	0.669	109/2	0.202
52/2	0.226	110/1	0.077
53/1	0.337	110/2	0.053
53/2	0.662	110/3	0.202
54/1	0.195	111	0.567
54/2	0.113	112/1	0.256
55/1	1.344	112/2	0.048
55/2	2.347	113	1.157
56	0.344	114	0.757
57/1	1.691	116	0.628
57/2	0.405	117	0.623
58/1	0.202	118	0.332
58/2	0.809	119	0.316
58/3	0.223	121	0.283
60	0.073	122	0.384
66/1	0.825	124/1	0.653
66/2	0.263	124/2	0.446
66/3	0.352	124/3	0.809
67/1	0.016	124/4	0.324
67/2	0.036	124/5	0.207
67/3	0.053	124/6	0.202
67/4	0.049	124/7	0.162
67/5	0.049	125/1	0.216
68	0.662	125/2	0.327
73	0.192	126	1.076
74	0.194	128	0.125
75/1	0.182	130/2	0.146
75/2	0.012	131/1	0.403
76/1	0.324	131/2	0.100
77	0.138	131/3	0.085
79	0.615	131/4	0.057
80	1.084	131/5	0.458
81	0.478	131/6	0.100
82	0.324	131/7	0.101

(1)	(2)
131/8	0.100
132/1	0.233
132/2	0.202
132/3	0.233
133/1	0.040
133/2	0.332
134	0.271
135/1	0.421
135/2	0.247
135/3	0.162
135/4	0.134
135/5	0.250
135/6	0.202
136	0.332
137	1.036
138/1	0.404
138/2	0.640
139/1	0.203
139/2	0.223
139/3	0.202
140/2	0.607
141	0.202
योग 155	64.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थर्मल पावर प्लांट, भैयाथान के निर्माण के लिए कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 71/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गिद्धमुड़ी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-71.676 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.405
2/2	0.202
2/3	0.202
2/4	0.486
3/1	0.461
3/2	0.510
4/1	0.162
4/2	0.223
5/1	0.020
5/2	0.405
6/1	1.752
6/2	0.352
6/3	0.202
7/1	0.300
7/2	0.243
8/1	0.500
8/2	0.471
9	0.162
11/1 क	0.486
11/1 ख	0.486
11/1 ग	0.486
11/2 क	0.117
11/2 ख	0.117
11/2 ग	0.118
11/2 घ	0.143
11/3	0.167
11/4	0.267
12/1	0.384
12/2 क	0.040
12/2 ख	0.016
12/3	0.004
13/1	1.004
13/2	0.202
13/3	0.105
13/4	0.105

(1)	(2)
14/1	0.324
14/2	0.283
15	0.243
16	0.930
17/1	0.116
17/2	0.405
17/3	0.510
17/4	0.115
17/5	0.115
17/6	0.115
18/1	0.141
18/2 क	0.045
18/2 ख	0.045
18/2 ग	0.052
19/1	0.078
19/2	0.035
19/3	0.078
19/4	0.078
19/5	0.079
19/6	0.023
19/7	0.023
19/8	0.023
19/9	0.023
19/10	0.023
19/11	0.023
20/1	0.069
20/2	0.034
20/3	0.035
20/4	0.035
20/5	0.035
20/6	0.035
21/1	0.019
21/2	0.017
21/3	0.017
21/4	0.017
21/5	0.017
21/6	0.017
21/7	0.017
22/1	0.756
22/2	0.539
23/1	0.022
23/2	0.383
24/1	0.101
24/2	0.081
24/3	0.304
24/4	0.007
24/5	0.187
24/6	0.101
24/7	0.150
24/8	0.101
24/9	0.101
24/10	0.081
25/1	0.128
25/2	0.729
25/3	0.405
25/4	0.267
25/5	0.267
25/6	0.162
25/7	0.267
26/1	0.146
26/2	0.146
26/3	0.146
26/4	0.146
26/5	0.145
27/1	2.199
27/2	0.607
27/3	0.299
27/4	0.299
27/5	0.299
27/6	0.809
28/1	0.087
28/2	0.087
28/3 क	0.043
28/3 ख	0.044
28/4	0.085
28/5	0.087
28/6	0.087
28/7	0.087
29/1	0.445
29/2	0.243
29/3	0.259
29/4	0.267
30/1	0.202
30/2 क	0.041
30/2 ख	0.041
30/2 ग	0.040
30/3	0.121
31/1	0.004
31/2	0.004
31/3 क	0.012
31/3 ख	0.185
31/4	0.004
31/5	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
31/6	0.008	51	0.849
31/7	0.048	51/1	0.113
32/1	0.418	52/2	0.114
32/2	0.567	54/1	0.889
32/3	0.200	54/2	0.405
32/4	0.200	57	0.817
32/5	0.200	58	0.235
32/6	0.200	59/1	0.668
32/7	0.200	59/2	0.202
32/8	0.200	60	0.364
32/9	0.219	61	0.599
33/1	0.185	67/1	0.178
33/2	0.185	67/2	0.178
33/3	0.185	67/3	0.178
33/4	0.185	74/1	0.299
33/5	0.185	74/2	0.242
33/6	0.185	74/3	0.284
33/7	0.185	75	0.275
34/1	0.162	76/1	0.122
34/2	0.178	76/2	0.040
35/1 क	0.073	77/1	0.081
35/1 ख	0.073	77/2	0.081
35/1 ग	0.077	78/1	1.053
35/2	0.222	78/2	0.202
36	0.162	79/1	0.202
39/1	0.153	79/2	0.202
39/2	0.154	80/1	0.256
39/3	0.308	80/2	0.202
39/4	0.154	80/3	0.256
40/1	0.041	80/4	0.256
40/2	0.364	81	0.348
40/3	0.324	82/1	0.093
40/4	0.040	82/2	0.271
41/1	0.101	83/1	0.093
41/2	0.101	83/2	0.089
44/1	0.252	83/3	0.089
44/2	0.152	83/4	0.093
45/1	0.202	84	0.340
45/2	0.032	85/1	0.101
46	0.364	85/2	0.101
48/1	0.083	86	0.243
48/2	0.202	87	0.526
48/3	0.120	88	0.243
48/4	0.202	89/1	0.039
49/1	0.202	89/2	0.204
49/2	0.405	90	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
91	0.138	114/1	0.097
92	0.890	114/2	0.097
93	0.324	115	0.089
94/1	0.178	118/1	0.061
94/2	0.405	118/2	0.061
95/1	0.037	118/3	0 .061
95/2	0.037	118/4	0.060
95/3	0.037	119	0.849
95/4	0.037	122/1	1.242
95/5	0.037	122/2	0.206
95/6	0.037	123/1	0.152
95/7	0.037	123/2	0.154
96	0.380	123/3	0.154
97/1	0.348	123/4	0.154
97/2	0.356	123/5	0.154
97/3	0.356	123/6	0.154
97/4	0.356	123/7	0.154
98/1	0.048	124	0.178
98/2	0.077	129	0.405
98/3	0.077	130/1	0.043
98/4	0.081	130/2	0.043
98/5	0.081	130/3	0.042
99/1	0.024	130/4	0.042
99/2	0.037	132/1	0.607
99/3	0.061	132/2 क	0.121
99/4	0.062	132/2 ख	0.061
99/5	0.061	132/3	0.008
99/6	0.061	133/1	1.573
99/7	0.061	133/2	0.287
99/8	0.062	133/3	0.284
100/1	0.108	134/1	1.869
100/2	0.097	134/2	0.324
100/3	0.097	135/1	0.129
100/4	0.097	135/2	0.138
100/5	0.087	136/1	0.101
101/1	0.101	136/2	0.101
101/2	0.466	137	0.445
102/1	0.220	139/1	1.356
102/2	0.405	139/2	0.243
102/3	0.012	139/3	0.053
104	0.162	139/4	0.043
105	0.178	139/5	0.490
109	0.234	142/1	0.087
110/1	0.101	142/2	0.087
110/2	0.202	142/3	0.087
110/3	0.101	142/4	0.087
113	0.162		

	(1)	(2)
	142/5	0.087
	142/6	0.086
	142/7	0.086
	148	0.462
योग	317	71.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिए कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पतुरियाडाड़, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-92.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/1	0.247
2/2 क	0.081
2/2 ख	0.081
2/2 ग	0.081
2/3	0.247
3	0.364
4	0.332
5	0.526
8	1.416
10	0.170
11/1	0.445
11/2	0.441
14	0.364
15	0.486
18/1	0.162
18/2	0.332
18/3	0.061
18/4	0.182
19/1	1.699
19/2	0.162
19/3	0.202
19/4	0.162
19/5	0.162
20/1	0.243
20/2	0.243
21	0.607
22/1	0.567
22/2	0.405
23/1	0.178
23/2	0.174
24/1	1.538
24/2	0.405
25/1	0.890
25/2	0.891
26	0.405
27/1	0.348
27/2	0.202
27/3	0.502
27/4	0.202
29	0.162
30	0.486
31	0.121
32/1	0.117
32/2	0.117
32/3	0.117
33/1	0.202
33/2	0.607
33/3	0.202
34	0.308
35/1	1.619
35/2	0.101
35/3	0.283
36/1	0.961

(1)	(2)	(1)	(2)
36/2	0.567	49/4	0.060
36/3	0.150	50/1	0.101
36/4	0.150	50/2	0.101
36/5	0.150	51/1	0.577
36/6	0.150	51/2	0.576
39/7	0.150	53	0.454
36/8	0.150	55	0.607
37/1	0.291	56	0.271
37/2	0.295	57	0.664
38/1	0.141	58/1	0.619
38/2	1.134	58/2	0.166
38/3	0.202	58/3	0.166
38/4	0.202	58/4	0.166
39	0.713	58/5	0.166
41/1	0.425	59/1	0.160
41/2	0.162	59/2	0.160
42	0.344	59/3	0.405
43/1	1.032	59/4	0.405
43/2	0.125	59/5	0.160
43/3	0.113	59/6	0.160
43/4	0.113	59/7	0.160
43/5	0.113	60	0.170
43/6	0.113	61/1	0.405
43/7	0.113	61/2	0.299
43/9	0.113	61/3	0.202
43/10	0.113	61/4	0.405
43/8	0.113	61/5	0.405
44/1 क	0.041	61/6	0.405
44/1 ख	0.041	61/7	0.405
44/1 ग	0.041	61/8	0.405
44/1 इ	0.040	61/9	0.405
44/1 च	0.040	61/10	0.405
44/2	0.219	61/11	0.405
45/1	0.76[illegible]	61/12	0.405
45/2	0.324	61/13	0.394
45/3	0.324	62	2.250
45/4	0.388	63/1	0.194
46/1	0.102	63/2	0.674
46/2	0.263	63/3	0.674
46/3	0.105	63/4	0.668
47	0.466	63/5	0.113
48/1	0.065	64/1	0.586
48/2	0.064	64/2	0.587
49/1	0.061	65	0.061
49/2	0.061	66/1	0.016
49/3	0.061	66/2	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
66/3	0.020	85/2	0.567
68	0.028	86/1	0.405
69	0.028	86/2	0.405
70/1	2.534	86/3	0.405
70/2	0.607	86/4	0.405
71	0.405	86/5	0.405
72/1	0.020	87/1	0.214
72/2	0.049	87/2	0.029
72/3	0.049	88	0.725
72/4	0.044	89	1.574
73/1	0.251	97	0.081
73/2	0.251	113	3.439
73/3	0.251	130/2	0.364
73/4	0.058	130/3	1.457
74/1	0.368	130/4	0.524
74/2	0.202	130/5	0.524
74/3	0.081	161/1	0.291
74/4 क	0.078	161/2	0.291
75	0.486	161/3	0.299
76	1.011	161/4	0.291
77	0.162	162/1	2.727
78/1	0.223	162/2	0.405
78/2	0.223	163/1	0.405
78/3	0.223	163/2	0.607
78/4	0.223	163/3	0.445
79/1	0.429	163/4	1.173
79/2	0.434	163/5	0.607
79/3 क	0.142	163/6	0.202
79/3 ख	0.150	164/1	0.259
79/3 ग	0.142	164/2	0.255
79/4 क	0.181	164/3	0.255
79/4 ख	0.081	167/1	0.810
79/4 ग	0.081	167/2 क	0.024
79/4 घ	0.081	167/2 ख	0.024
80/1	0.540	167/2 ग	0.032
80/2	0.540	168/1	0.202
80/3	0.170	168/2	0.081
80/4	0.368	169	0.526
81	0.769	170/1	0.079
82/1	0.299	170/2	0.081
82/2	0.295	170/3	0.330
82/3	0.295	171	0.162
83	0.607	172	0.162
84/1	0.214	173/1	0.129
84/2	0.210	173/2	0.129
85/1	0.081	173/3	0.129

(1)	(2)
173/4	0.125
173/5	0.125
173/6	0.125
173/7	0.125
175	1.011
177/1	0.311
177/2	0.408
177/3	0.405
179	1.011
180	0.534
181	0.648
182	0.589
योग 249	92.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थर्मल पावर प्लांट भैयाथान के निर्माण के लिए कोल ब्लाक आवंटन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd June 2009

No. 419/Confdl./2009/II-2-1/2007.— The District & Sessions Judge, Rajnandgaon shall also be the special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Rajnandgaon, in addition to his own work, with immediate effect, until further orders.

Bilaspur, the 24th June 2009

No. 423/Confdl./2009/II-3-14/2000.— On the application of Ku. Swarnalata Tirki, I Civil Judge Class-II, Jagdalpur, for change of her surname, she is hereby permitted to change her surname as "Smt. Swarnalata Toppo". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2009

क्रमांक 82/दो-2-23/2001.— श्री रामकृष्ण बेहार, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर दिनांक 30-09-2006 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 196 (एक सौ छियानबे) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.